रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 1973/फाल्गुन 16, 1894

No. 51] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 1973/PHALGUNA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 7th March 1973

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 18-Customs, dated the 12th February, 1973, namely:—

In the said ification, after the words "Republic of Korea" in the two places where they occur, the words "or Tunisia" shall be inserted.

[No. 38/F. No. 363/6/72-Cus. I.]

S. NARAYANAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1973

सा० का० नि० 159(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 18-सीमा-शुल्क, तारीख 12 फरवरी, 1973 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "रिपब्लिक आफ कोरिया" शब्दों के बाद, जहां भी वे दो स्थानों पर जायें, "या दयूनिसिया" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० 38 फा० सं० 363/6/72—सीमा शुल्क-I]

एस० नारायणन, उप सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973